भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
19.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3002 का उत्तर

सफाई कर्मचारियों की मृत्यु

3002. श्री हैबी ईडन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा नियोजित कितने सफाई कर्मचारियों की मृत्यु विगत 10 वर्षों के दौरान हुई है;
(ख) रेलवे सफाई कर्मचारियों की मृत्यु को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) क्या रेलवे द्वारा सफाई कर्मचारियों को नियोजित किया जाना हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अधिदेश का उल्लंघन करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): भारतीय रेल में सफाई कार्य हाथ से नहीं किया जाता है।

प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन/प्लेटफ़ॉर्म की सफ़ाई का कार्य हाई प्रेशर वॉटरजेट, यांत्रिक फ़्लोर स्क्रबर, वॉक बिहाइंड ऑटोमेटिक स्क्रबर ड्रायर, बैटरी से चलने वाले राइड ऑन स्क्रबर, वैक्यूम क्लीनर, फ़िलपर्स, वेट एण्ड ड्रायर वैक्यूम क्लीनर आदि का उपयोग करके आवश्यक मानवशक्ति के साथ मशीनीकृत साधनों के माध्यम से किया जाता है। प्लेटफ़ॉर्म की पटरियों पर जहाँ भी कंक्रीट के धोने योग्य एप्रन उपलब्ध हैं, उन्हें आवश्यकतानुसार वॉटरजेट से साफ़ किया जाता है।

भारतीय रेल प्रणाली के यात्री सवारी डिब्बों में बायो-टॉयलेट संस्थापित करके, मल को पटरियों पर गिरने से रोका गया है और बायो-टैंक में पर्याप्त सूक्ष्मजीवी होते हैं जो मल को गैस और उपचारित पानी में परिवर्तित करते हैं, जो केवल भूमि पर छोड़ा जाता है। सवारी डिब्बों की बाहरी सफाई स्वचालित कोच वाशिंग प्लांट में की जाती है। सवारी डिब्बों की आंतरिक सफाई के लिए, हाथ से चलने वाली स्क्रबिंग मशीनों, वैक्यूम क्लीनर के साथ-साथ उचित उपकरणों और उपस्करों का उपयोग किया जाता है। शौचालयों को हाई प्रेशर जेट और निर्धारित सफाई पदार्थों का उपयोग करके साफ किया जाता है।

****